फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

24 सन् 2016 किस्म मुकदमा प्रार्थनापत्र

देवा बनाम गंवरा

आदेशिका	हस्ताक्षर / सूचना
पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि ग्राम कांकरीपा की आराजी नम्बर 125 रकबा 3.15 बीघा भूमि से संबंधित वाद विचाराधीन है। जिसमें मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व प्रार्थी के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीगण के इस आराप की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी की जाती है कि उक्त भूमि की मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

अतिरिक्त कलक्टर

(एम.डी.ए.) कुम्भलगढ़

जिला-राजसमन्द